>

Title: Need to amend Land Revenue and Land Reforms Regulations Act, 1968 in Andaman and Nicobar Islands.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): महोदय, मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कितने पेज हैं?

श्री विष्णु पद राय : ज्यादा नहीं हैं।

MR. CHAIRMAN : Read the operative part and come to the conclusion with a demand.

श्री विष्णु पद राय : महोदय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जमीन का कानून वर्ष 1968 में बना था। अब इस कानून का 42 साल बाद अमेंडमेंट करना जरूरी है। मैं चार बिंदुओं के लेकर अमेंडमेंट की मांग करना चाहता हूं कि अंडमान निकोबार रेवेन्यू और लैंड रिफार्म रेगुलेशन, 1968 का अमेंडमेंट किया जाए। सबसे पहले सेल परमिशन की बात है। भारत में कोई भी आदमी जमीन बेचता है, डिपार्टमेंट में जाता है और सेल परमिशन मिलती है।

सभापति महोदय : आप बिल इंट्रोड्यूज नहीं कर रहे हैं जिस पर वोटिंग होनी है। आप प्वाइंट पर आइए।

श्री विष्णु पद राय : मैं प्वाइंट पर आ रहा हूं। सेल परमिशन के लिए अंडमान निकोबार में कानून बनाया गया कि कम से कम दो साल पुराना घर होना चाहिए, म्युनिसिपल से प्लान पास होना चाहिए, सेट बैक एरिया नहीं होना चाहिए। इसके कारण लोगों को सेल परमिशन नहीं मिल रही है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसमें संशोधन किया जाए, दो साल की पाबंदी न लगाई जाए, सेल परमिशन जिस तरह से भारत में अन्य जगह मिलती है वैसे ही अंडमान में मिले। मेरी दूसरी मांग सब डिवीजन के बारे में है। सारे देश में एसडीओ सब डिवीजन करता है, अंडमान में सब डिवीजन करने के लिए फाइल साल भर घूमती रहती है लेकिन सब डिवीजन नहीं होता है। इस देश में कानून सब डिवीजन बनाने के लिए है, एसडीओ को परमिशन दी गई है ताकि तुंत सब डिवीजन बने, मैं इस अमेंडमेंट की मांग करता हूं। तीसरी बात है कि अंडमान द्वीप समूह में आबादी बढ़ रही है, रेवेन्यू लैंड घट रही है। यहां सात से आठ परसेंट रेवेन्यू लैंड है, इसमें डैम्प फारेस्ट भी है, गवर्नमेंट अलॉटमेंट भी है, कॉमन सर्विसिस भी है, इसके बाद पांच लाख आबादी तीन परसेंट रेवेन्यू लैंड पर रहती है। आबादी बढ़ रही है, सेटलर्स की बढ़ोतरी हो रही है तो लोग पैडी लैंड खरीद कर हाउस साइड बनाकर बैठ रहे हैं।

20.00 hrs.

लेकिन हाउस साइट, हाउस साइट में कंवर्ट नहीं हो रहा है, सब-डिविजन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि इसमें अमैन्डमैन्ट किया जाए।

मेरा अंतिम अमैन्डमैन्ट यह है कि हमारे द्वीपसमूह में पीनल सैटलमैन्ट आया, ईस्ट बंगाल से रिफ्यूजीस आये। इस बात को दो सौ साल हो गये। पिता जी के मरने के बाद उनकी ज्वाइंट प्रोपर्टी को, ज्वाइंट म्यूटेशन को सब-डिविजन करने का मौका बाकी लोगों को मिले। मैं आपके माध्यम से सरकार से इन चार अमैन्डमैन्ट्स की मांग करता हूं।

सभापति महोदय : विष्णुपद जी ने तो जस्ट लाइक फुल डिस्क्रिप्शन के साथ और सारे प्वाइंट्स के साथ एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। यह जीरो ऑवर का मामला नहीं है।